(5)

RANCHI UNIVERSITY, RANCHI

पत्रांक......................

दिनांक........................

सेवा में,

निदेशक, (उच्चशिक्षा)
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्चशिक्षा निदेशालय)
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय– आर0टी0सी0 बी0एड0 कॉलेज, बुटी, राँची को बी0एड0 पाठ्यक्रम में अस्थायी नव संबंधन के सम्बन्ध में

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निर्देशानुसार सूचित करना है कि NCTE विनियम – 2014 एवं NCTE के अनुसार सभी शर्त्तों को पूरा करने संबंधी शपथ / वचन पत्र देने के आलोक में आर0टी0सी0 बी0एड0 कॉलेज बुटी, राँची के अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण हेतु प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन के आलोक में सम्बन्धन एवं नव पाठ्यक्रम समिति की दिनांक 16.3.2017 को संपन्न बैठक में उक्त संस्थान को दो वर्षीय बी0एड0 पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2017–2019,2018–2020,2019–2021 के लिए सशर्त अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण हेतु अनुशंसा की गई है, अभिषद् की संपन्न बैठक, दिनांक 17.3.2017 को संकल्प संख्या 913/17 द्वारा संबंधन एवं नव पाठ्यक्रम समिति के निर्णयों को अनुमोदित किया गया है। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति अधिषद से प्राप्त कर ली जायेगी।

तद्नुसार उक्त संस्थान के अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन की छाया प्रति, सम्बन्धन एवं नव पाठ्यक्रम समिति की बैठक के कार्यवृत की छाया प्रति, अभिषद के बैठक की कार्यवृत की छाया प्रति, सम्बन्धन प्रपत्र एवं अन्य आवश्यक कागजात संलग्न कर आवश्यक कार्यार्थ भेजी जा रही है।

अतः आप से आग्रह है कि झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 4 (19) के तहत् आर0टी0सी0 बी0एड0 कॉलेज, बुटी, राँची को उपर्युक्त वर्णित पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2017–2019,2018–2020,2019–2021 के लिए अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण के प्रस्ताव पर राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर विश्वविद्यालय को अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक:–यथाउपरोक्त।

विश्वासभाजन
ह/–
कुलसचिव
राँची विश्वविद्यालय, राँची

ज्ञापांक GQ/3675-98

दिनांक 18/3/17

प्रतिलिपि–1.सचिव, आर0टी0सी0 बी0एड0 कॉलेज, बुटी, राँची को सूचनार्थ।

18/3/17

कुलसचिव
राँची विश्वविद्यालय,राँची

5

(5)

RANCHI UNIVERSITY, RANCHI

पत्रांक.....................

दिनांक.....................

सेवा में,

निदेशक, (उच्चशिक्षा)
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्चशिक्षा निदेशालय)
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय— आर0टी0सी0 बी0एड0 कॉलेज, बुटी, राँची को बी0एड0 पाठ्यक्रम में अस्थायी नव संबंधन के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निर्देशानुसार सूचित करना है कि NCTE विनियम – 2014 एवं NCTE के अनुसार सभी शर्त्तो को पूरा करने संबंधी शपथ / वचन पत्र देने के आलोक में आर0टी0सी0 बी0एड0 कॉलेज, बुटी, राँची के अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण हेतु प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन के आलोक मे सम्बन्धन एवं नव पाठ्यक्रम समिति की दिनांक 16.3.2017 को संपन्न बैठक में उक्त संस्थान को दो वर्षीय बी0एड0 पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2017–2019,2018–2020,2019–2021 के लिए सर्शत अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण हेतु अनुशंसा की गई है। अभिषद की संपन्न बैठक, दिनांक 17.3.2017 को संकल्प संख्या 913/17 द्वारा संबंधन एवं नव पाठ्यक्रम समिति के निर्णयों को अनुमोदित किया गया है। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति अधिषद से प्राप्त कर ली जायेगी।

तद्नुसार उक्त संस्थान के अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन की छाया प्रति, सम्बन्धन एवं नव पाठ्यक्रम समिति की बैठक के कार्यवृत की छाया प्रति, अभिषद के बैठक की कार्यवृत की छाया प्रति, सम्बन्धन प्रपत्र एवं अन्य आवश्यक कागजात संलग्न कर आवश्यक कार्यार्थ भेजी जा रही है।

अतः आप से आग्रह है कि झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 4 (19) के तहत आर0टी0सी0 बी0एड0 कॉलेज, बुटी, राँची को उपर्युक्त वर्णित पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2017–2019,2018–2020,2019–2021 के लिए अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण के प्रस्ताव पर राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर विश्वविद्यालय को अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः—यथाउपरोक्त।

विश्वासभाजन
ह/—
कुलसचिव
राँची विश्वविद्यालय, राँची

ज्ञापांक GO-3675-98

दिनांक 18/3/17

प्रतिलिपि—1.सचिव, आर0टी0सी0 बी0एड0 कॉलेज, बुटी, राँची को सूचनार्थ।

18/3/17
कुलसचिव
राँची विश्वविद्यालय, राँची

5 342

पत्रांक-5/स.1-36/2016 866/

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)
योजना भवन, नेपाल हाउस परिसर, डोरंडा, राँची-834002

D·R-I

प्रेषक,

मीना ठाकुर, (भा0प्र0से0)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

कुलसचिव,
राँची विश्वविद्यालय, राँची।

राँची, दिनांक- 29/03/17

विषयः- **आर0टी0सी0 बी0एड0 कॉलेज, बुटी, राँची को बी0एड0 पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2017-19, 2018-20 एवं 2019-21 के लिए अस्थायी संबंधन दीर्घकिरण के संबंध में।**

प्रसंगः- **आपका पत्रांक-GE/-3675-98 दिनांक-18.03.2017**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बी0एड0 महाविद्यालयों को संबंधन प्रदान करने हेतु "The Statute relating to admission and exclusion of B.Ed. Colleges other than those managed and maintained by the University." विभागीय पत्रांक-2763 दिनांक-16.12.2016 के द्वारा आपको उपलब्ध कराया गया है। Statute की कंडिका-6 में Extension of temporary affiliation के संबंध में निम्न प्रतिवेदनों को संलग्न करने का प्रावधान किया गया है:-

(a) Compliance report of the conditions mentioned, if any, in the Recognition letter issued by NCTE/ Inspection report of the University.
(b) Report on the compliance of the State policy relating to eligibility criteria for the admission of students.
(c) Report on the manner in which the prescribed course has been completed.
(d) Report on conduct of examination.

प्रासंगिक बी0एड0 महाविद्यालय के संबंध में उक्त विन्दुओं पर विन्दुवार अपेक्षित प्रतिवेदन संलग्न नहीं किया गया है। इस कमी के कारण अग्रेत्तर कार्रवाई में कठिनाई हो रही है।

अनुरोध है कि NCTE के पत्रांक-32683 दिनांक-31.05.2015 द्वारा इस महाविद्यालय को प्रदत्त Recognition में अंकित शर्त्तों के अनुपालन के विन्दुओं पर विन्दुवार सुस्पष्ट प्रतिवेदन सहित अन्य अपेक्षित प्रतिवेदन कृपया एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

29.3.17

(मीना ठाकुर)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

R-890
1/4/17

01/04/17

RANCHI UNIVERSITY, RANCHI

अधिसूचना

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के पत्रांक 5/वि1–79/2014/1338 दिनांक 09.05.2017 के आलोक में राँची विश्वविद्यालय अन्तर्गत आर०टी०सी० बी०एड० कॉलेज, बुटी राँची को बी०एड पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2017–2019,2018–2020 एंव 2019–2021 के लिए अस्थायी संबंधन दीर्धीकरण की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ दी जाती है :–

2. महाविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि–

(क) माँ वैष्णोदेवी महिला महाविद्यालय बनाम उत्तर प्रदेश सरकार तथा अन्य द्वारा दायर याचिका संख्या WP (C) No. 276/2012 में पारित न्यायादेश की कंडिका –71 में अंकित निम्न निदेशों का अनुपालन संबंधित महाविद्यालय सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

(i) छात्रों के नामांकन की पात्रता,
(ii) परीक्षा का संचालन,
(iii) विहित कोर्स के पूर्णता की प्रकिया,
(iv) एन०सी०टी०ई० द्वारा दिए गए शर्तों का अनुपालन।

(ख) निरीक्षण प्रतिवेदन में दर्शाये गये कमियों/त्रुटियों के पूर्णता एवं दिए गए सुझाव का अनुपालन।
(ग) AISHE portal पर data को upload करना
(घ) IQAC का गठन

कुलपति के आदेशानुसार
ह/–
कुलसचिव
राँची विश्वविद्यालय,राँची

पत्रांक GE/-3464 दिनांक 09.05.2017

प्रतिलिपि–

1. प्राचार्य, आर०टी०सी० बी०एड० कॉलेज, बुटी राँची,
2. संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय, राँची विश्वविद्यालय, राँची,
3. परीक्षा नियंत्रक, राँची विश्वविद्यालय, राँची,
4. प्रो०–इन–चार्ज, टेबुलेशन सेंटर, राँची विश्वविद्यालय, राँची,
5. उप–कुलसचिव –I, राँची विश्वविद्यालय, राँची,
6. सहायक कुलसचिव – III, पंजीयन शाखा, राँची विश्वविद्यालय,राँची,
7. कुलपति, प्रतिकुलपति एवं कुलसचिव के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

9.5.17

कुलसचिव
राँची विश्वविद्यालय, राँची